



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/264;

दिनांक: 27 जनवरी 2021

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय (निम्न सूचीनुसार),
राजस्थान।

ज्ञान गंगा कार्यक्रम

विषय: राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों में विषय दक्षता संवर्द्धन हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान एवं राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अन्तर्गत विधि में दिनांक 1-6 फरवरी 2021 को राज्य स्तरीय ऑनलाईन प्रशिक्षण के आयोजन बाबत।

सन्दर्भ: आकाशि का पत्रांक CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020/181; दिनांक 12 जनवरी 2021 के क्रम में।

उपर्युक्त सन्दर्भ लेख है कि राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर द्वारा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के साथ संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 1-6 फरवरी 2021 को "Initiatives for Teaching-Learning Excellence in Law" विषय पर निर्देशानुसार 06 दिवसीय शॉर्ट टर्म ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित विषय में अद्यतन ज्ञान एवं शिक्षण पद्धति में नवाचारपरक बिन्दुओं पर फोकस किया जायेगा। साथ ही प्रायोगिक ज्ञान संवर्द्धन के लिये Hands on Practice सत्र भी आयोजित करवाये जायेंगे।

निम्नलिखित संकाय सदस्यों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु नामित किया गया है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि -

1. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया जायेगा, जिसकी सभी तकनीकी व्यवस्थाएं राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर द्वारा करवाई जायेंगी।
2. प्रशिक्षण का प्रतिदिन न्यूनतम समय 2 घण्टा 30 मिनिट्स का रहेगा, जो कि प्रातः 10.30 बजे से आरम्भ होकर अपराह्न 1.00 बजे तक होगा। अतः इस प्रयोजनार्थ किसी भी प्रतिभागी को कर्त्तव्य अवकाश नहीं दिया जायेगा। नामित संकाय सदस्यों को इस प्रशिक्षण को महाविद्यालय में उपस्थित रहकर ही करना है।
3. संबंधित प्राचार्य नामित संकाय सदस्य/सदस्यों को प्रशिक्षण अवधि में महाविद्यालयी कार्य से मुक्त रखें।
4. इस सूची में नामित संकाय सदस्य के महाविद्यालय के नाम के साथ अंकित उनके मूल पदस्थापन महाविद्यालय अथवा उनके कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन महाविद्यालय के नाम में कोई अन्तर हो तो उन्हें इस आदेश के जरिये निर्देशित किया जाता है कि वे बिना किसी पूरक प्रश्न के अपने मूल पदस्थापन महाविद्यालय के आधार पर पंजीकृत करते हुए इस प्रशिक्षण में सहभागी बनें।
5. सभी नामित प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर द्वारा तैयार की गई लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिये नामित संकाय सदस्य नीचे दिये गये मोबाइल नम्बर्स पर स्वयं सम्पर्क करके रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं अपडेटेड रहेंगे।

6. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आयोजक महाविद्यालय द्वारा समूह में जुड़ने एवं रजिस्ट्रेशन करने संबंधी दिये जाने वाले निर्देशों का नामित सभी संकाय सदस्य पालन करेंगे।
7. इस आदेश में नामित सभी संकाय सदस्यों को इस प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करना सभी नामित संकाय सदस्यों का उत्तरदायित्व है। नामित व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने की दशा में वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।
8. राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में इस प्रयोजनार्थ निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है –

- R. N. Chodhary 94142 58552
- Suman Mahavar 98287 37970
- Ashish Verma 77268 55742

9. नामित संकाय सदस्यों की सूची :-

S. No.	Name of Faculty	Name of College
1.	सुमन मावर	राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर
2.	आशिष शर्मा	राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर
3.	हर्ष ईनाणियों	राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर
4.	नफीसा बानो	राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर
5.	हेमन्त कुमार	राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर
6.	विजय कुमार बेनिवाल	राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर
7.	मुकेश कुमार मीणा	राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर
8.	सुन्दर सिंह यादव	राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर
9.	राकेश शर्मा	राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर
10.	प्रियंका सावत	राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर
11.	संजय रायपुरिया	राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर
12.	शोभा राम शर्मा	राजकीय विधि महाविद्यालय भरतपुर
13.	शिखा पुरोहित	राजकीय विधि महाविद्यालय भरतपुर
14.	मनोज कुमार शर्मा	राजकीय विधि महाविद्यालय भरतपुर
15.	राहुल कटारा	राजकीय विधि महाविद्यालय भरतपुर
16.	विक्रम सिंह	राजकीय विधि महाविद्यालय भरतपुर
17.	लवराज शर्मा	राजकीय विधि महाविद्यालय भरतपुर
18.	मनीषा सिंह	राजकीय विधि महाविद्यालय भरतपुर
19.	संग्राम सिंह	राजकीय विधि महाविद्यालय भरतपुर
20.	तुष्टिद जोशी	राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाडा
21.	आशुतोष कौशिक	राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाडा
22.	आशीष घुन्ना	राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाडा
23.	राजेश खटवानी	राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाडा


24.	पूजा छिम्पा	राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर
25.	मल्लिका परवीन	राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर
26.	किशन लाल कुम्हार	राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर
27.	रेखा आचार्य	राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर
28.	शिव शंकर व्यास	राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर
29.	मीनाक्षी कुमावत	राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर
30.	शोयब मोहम्मद	राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी
31.	देवेश पाठक	राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी
32.	इन्द्र चन्द कुमावत	राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी
33.	श्रीराम सैनी	राजकीय विधि महाविद्यालय चुरु
34.	धीरज सक्सैना	राजकीय विधि महाविद्यालय चुरु
35.	अमित कुमार बगडिया	राजकीय विधि महाविद्यालय चुरु
36.	मनीष कुदना	राजकीय विधि महाविद्यालय चुरु
37.	अनिल कुमार सैनी	राजकीय विधि महाविद्यालय चुरु
38.	महावीर प्रसाद	राजकीय विधि महाविद्यालय चुरु
39.	चन्द्र शेखर दीक्षित	राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर
40.	रामचरण मीणा	राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर
41.	हेमलता मीना	राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर
42.	राकेश कुमार मीना	राजकीय विधि महाविद्यालय झालावाड़
43.	नीरू चौहान	राजकीय विधि महाविद्यालय झालावाड़
44.	विकास कुमार जैन	राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा
45.	स्नेहता देवी	राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा

- सभी नामित प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशित/निर्धारित पूरे समय तक ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करनी है।
- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।
- सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रतिदिन ऑनलाइन फीडबैक देना अनिवार्य है। यह फीडबैक आयोजकों द्वारा यथा निर्देशित प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उसी दिन ऑनलाइन जमा कराना होगा।
- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूर्ण होने पर सभी प्रशिक्षणार्थी एक सादे कागज पर अपना फीडबैक लिखकर संबंधित प्राचार्य को जमा करवायेंगे, जिसे कि प्राचार्य द्वारा आयुक्तालय को नवाचार प्रकोष्ठ की मेल **gyanganga.cceraj@gmail.com** पर दिनांक 09 फरवरी 2021 तक भिजवाया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन हेतु नवाचार एम कौशल विकास प्रकोष्ठ के निम्न अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं -




- | | | |
|-----------------------------|--|-------------|
| 1. डॉ. विनोद कुमार भारद्वाज | : प्रभारी अधिकारी, नवा. एवं कौशल विकास | 94143 04650 |
| 2. डॉ. शिवांगना शर्मा | : सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास | 94615 19852 |
| 3. डॉ. ललिता यादव | : सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास | 95299 93619 |
| 4. डॉ. विश्राम मीना | : सहा. आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास | 99503 73686 |


संदेश नायक, IAS
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक: CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/265; दिनांक: 27 जनवरी 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
5. प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर।
6. समस्त, क्षेत्रीय सहायक निदेशक, सम्भाग कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
7. संबंधित नामित संकाय सदस्य, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
8. वैबसाइट प्रभारी को अपलोड/ई-मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ